न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/461
मुकदमा नम्बर 179/2024

दावा दर्ज दिनांक–09.10.2024

विनोद पुत्र दीपा जाति जाट निवासी चौराडी आथूणी ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–वादी

बनाम

1. बूंटीराम पत्रु रामनिवास
2. श्रीमती श्रवणी पत्नी रामनिवास समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चौराडी आथूणी तहसील व जिला झुझुंनू
3. बैक ऑफ इण्डिया शाखा डाबडी बलौदा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील नवलगढ
–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री सुरेश कुमार सिंगड
वकील प्रतिवादी सं. 1 व 3 :– एक पक्षीय

:: निर्णय :: निर्णय दिनांक 15.01.2025

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 234 रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 235 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 322/159 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 324/160 रकबा 0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 2.82 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाया जावे।इस आशय की घोषणा की जावे। ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 258 रकबा 2.31 है0, खसरा नं. 323/159 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 325/160 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगा. 3 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकी कायमी आवश्यक नही रह जाती है। श. वादी में विनोद पुत्र दीपा का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 उपस्थित न्यायालय होकर एक प्रा. पत्र बाबत् वाद वादी स्वीकार किये जाने का पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार एतराज नही किया गया है बल्कि वादी का वाद स्वीकार किये जाने मे सहमति व्यक्त की है। बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई।

वाद वादी आपसी सहमति का होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 234 रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 235 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 322/159 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 324/160 रकबा 0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 2.82 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 258 रकबा 2.31 है0, खसरा नं. 323/159 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 325/160 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रिकार्ड दुरूस्ती से पूर्व यदि किसी का हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो उक्त दुरूस्ती के पश्चात् उसके सम्पूर्ण हिस्से अथवा उसकी घोषित खातेदारी बैंक रहन दर्ज की जावे।

आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2024/461

मुकदमा नम्बर 179/2024 दावा दर्ज दिनांक–09.10.2024

(विनोद बनाम बूंटीराम)
दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी आपसी सहमति का, पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 234 रकबा 2.38 है0, खसरा नं. 235 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 322/159 रकबा 0.15 है0, खसरा नं. 324/160 रकबा 0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 2.82 है0 का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम चौराडी आथूणी के खसरा नं. 258 रकबा 2.31 है0, खसरा नं. 323/159 रकबा 0.23 है0, खसरा नं. 325/160 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रिकार्ड दुरूस्ती से पूर्व यदि किसी का हिस्सा बैंक रहन दर्ज है तो उक्त दुरूस्ती के पश्चात् उसके सम्पूर्ण हिस्से अथवा उसकी घोषित खातेदारी बैंक रहन दर्ज की जावे।

आदेश की पालना के लिये तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 15 माह 01 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00